न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

देव सिंह वगै0 बनाम जय सिंह वगै0

मिसल नं0 2025/155

किस्म मुकदमा:— 225/बून्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
28/05/2025	विद्वान अभिभाषक श्री रामकैलाश नागर की ओर से उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 26/प्रार्थना—पत्र/2025 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना—पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 05.05.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 05.05.2025 में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किए जाने का अंकन है तथा प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 20.06.2025 नियत है। अतः प्रश्नगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रकिया के तहत जवाब प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा अपीलांटगण एवं उनके पूर्वज विगत 100 वर्षो से भी अंधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से तत्कालीन बून्दी स्टेट द्वारा जारी पानड़ी सम्वत् 1991 तथा जमाबंदी सम्वत् 2001 तथा भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा	

प्राथीगण/अपीलान्ट्स

लगान आदि प्रस्तुत किए है जिनके अवलोकन से वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की सहखातेदारी में दर्ज होना प्रकट होता है। अपीलांटगण का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को बिना विभाजन करवाये खुर्द–बुर्द, रहन, बैचान करने पर आमादा है। हमारे मत में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अतः वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः हमारे मत में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एडमिशन स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उभयपक्षकारान आज दिनांक 28.05.2025 से ग्राम अन्थड़ा तहसील रायथल जिला बून्दी की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 355, 359, 410/1147, 297, 298, 299, 346, 422, 80 के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर, सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 5 की पालना करते हुए प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

28/5/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा